

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.1(35)नविवि/II/2009

जयपुर, दिनांक 30 MAY 2022

—:आदेश:—

श्री खेमसिंह शेखावत, सहायक नगर नियोजक (न्यास सेवा), नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा जिनकी जन्मतिथि 22.05.1962 है। श्री खेमसिंह द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप दिनांक 31.05.2022 को राज्य सेवा से रोवानिवृत्त किये जाने के आदेश एतद्वारा प्रसारित किये जाते हैं।

नोट:—कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री खेमसिंह पुत्र श्री कानसिंह, उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के विरुद्ध अपराध संख्या 173/18 विचाराधीन है।

भवदीय,


— sd —

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. विशिष्ट शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर उपलोड करावें।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
5. श्री खेमसिंह शेखावत, सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


30/5/2022

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय